

शिव मोहर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
कार्य विभाजन आदेश-2024
(प्रथम संशोधन)

कमांक / 51 / का.वि. / 24

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13.05.2024

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिव मोहर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला छिन्दवाड़ा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश 13.04.2024 में प्रथम संशोधन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार किया जाता है।

यह आदेश दिनांक **13/05/2024** से प्रभावशील होगा।

1- कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 13.04.2024 के सरल कमांक 03 के स्तंभ कमांक 04 की कंडिका क.-10 में आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली को विलोपित कर, आरक्षी केन्द्र मोहखेड़ प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात् आरक्षी केन्द्र **मोहखेड़** से उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156-3 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवाई **श्री राहुल जैन न्या.मजि.प्र.श्रेणी छिंदवाड़ा** के द्वारा की जायेगी।

2- कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 13.04.2024 के सरल कमांक 04 के स्तंभ कमांक 04 की कंडिका क.-03 में आरक्षी केन्द्र मोहखेड़ को विलोपित कर, आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात् आरक्षी केन्द्र **सिटी कोतवाली** से उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156-3 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवाई **श्री गोपाल जाटव, न्या.मजि.प्र.श्रेणी छिंदवाड़ा** के द्वारा की जायेगी।

3- **परिष्ठा-अ** में कंडिका **4अ** निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

क.	आरक्षी केंद्र का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कथन लेख करेंगे।	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कॉलम 2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे।	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कॉलम 3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे
4अ	कोतवाली, मोहखेड़, जी आर पी छिंदवाड़ा, महिला थाना छिंदवाड़ा, लावाघोघरी, देहात, अ.जा.क., कुंडीपुरा एवं यातायात से उत्पन्न महिला संबंधी समस्त अपराधों के विषय में	श्रीमती नेहा मोर्य सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री राहुल जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री मेहताब सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा

4- परिष्कृत-ब में कंडिका 2अ निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

क.	कॉलम नं.-1	कॉलम नं.-2	कॉलम नं.-3
2अ	श्रीमती नेहा मोर्य सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री मेहताब सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री राहुल जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा

sd/-
(शिव मोहर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिंदवाड़ा

पृष्ठांकन क./ /का.वि./2024

छिंदवाड़ा, दिनांक 13/05/2024

प्रति,

- 1-माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 2-निज सहायक, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा।
- 3-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, एद्रोसिटी, छिंदवाड़ा।
- 4-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छिंदवाड़ा।
- 5-माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, जिला छिंदवाड़ा।
- 6-समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 7-सांख्यिकी अनुभाग- कार्यालय जिला न्यायालय छिंदवाड़ा।
- 8-पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9-पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की निम्नलिखित अधिनियम से संबंधित विभागों - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार विकास और विनियमन) अधिनियम, कंपनी अधिनियम, धनकर अधिनियम, दानकर अधिनियम, आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, निर्यात क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम, कंपनीज (लाभ अतिकर) अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रभारी अधिकारियों को सूचित/प्रेषित की जायें।
- 10-पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा की ओर संबंधित आरक्षी केन्द्रों/चौकियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 11-जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा।
- 12-कमिश्नर नगर निगम छिंदवाड़ा।
- 13-जिला आबकारी अधिकारी छिंदवाड़ा।
- 14-जिला खनिज अधिकारी।
- 15-मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा।

- 16-उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छिंदवाडा।
17-लोक अभियोजक छिंदवाडा।
18-उपसंचालक लोक अभियोजन छिंदवाडा।
19-जिला अभियोजन अधिकारी छिंदवाडा।
20-सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर/पांडुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाडा/चौरई/
तामिया/हरई।
21-अध्यक्ष अभिभाषक संघ छिंदवाडा/सौंसर/पांडुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाडा/चौरई/
तामिया/हरई।
✓22-जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय छिंदवाडा की ओर सभी न्यायिक
अधिकारीगण एवं विभागो को ई-मेल द्वारा सूचित किये जाने बाबत प्रेषित।

(शिव मोहर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिंदवाडा